

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)

कैम्प:- ग्रामीण सेवा शिविर-2025

-:: आदेश ::-

ग्रामीण सेवा शिविर-2025  
6707-18/2025

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- ....खानमीन..... व भू  
- अभिलेख निरीक्षक, वृत्त- ....खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंसा के आधार पर  
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. खानमीन

..... पटवार मण्डल- ....खानमीन ..... तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की  
जमाबन्दी संवत्- .....2075-2078..... में खाता संख्या-152..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप  
से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

| राजस्व ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि<br>(अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश<br>(शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड<br>में दर्ज की जानी है) |
|--------------|-------------|---|--|
| खानमीन       | 152         | SBBJ खैरवाडा                            | SBI खैरवाडा  |

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
पीठासीन अधिकारी  
खैरवाडा जिला उदयपुर (राज.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर, खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)

क्रमांक :- सेवा शिविर-2025 / 27 / 2025 / 1459-1474

दिनांक :-17.09.2025

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी श्री ..... विजय पुत्र नानजी ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी एवं राज.)  
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा  
जिला - उदयपुर (राज0)